प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 04.04.2025

- **जनपद कानपुर देहात पुलिस अपराधों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित 01 नफर अभियुक्त को थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना मंगलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 140/2025 धारा 3(5)/105/238 बीएनएस व 3/181 एमवी एक्ट में वांछित था अभियुक्त।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व अपराधों की रोकथाम हेतु व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 01.04.2025 को वादी श्री नितिन कुमार पुत्र श्री सुनील कुमार निवासी ग्राम घुष्टी गढिया थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना मंगलपुर पर दिये गये प्रार्थना पत्र में तहरीर किया कि मेरे चाचा श्री महेश सिंह पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम घुष्टी गढिया थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को कुंवर सिंह उर्फ चुक्खा पुत्र लालजीत व सोनेलाल पुत्र भुइयादीन निवासीगण घुष्टी गढ़िया थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात व शेरू पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कपासी खुर्द थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात ने जॉनडियर ट्रैक्टर में बंधे रोटावेटर से मेरी चाचा महेश की निर्मम हत्या कर दी है व योजनाबद्ध तरीके से शव छिपाने के लिए शव को टुकड़ों में करके गड्ढे में मिट्टी से दबा दिया था। प्रकरण के संबंध में थाना मंगलपुर पर मु0अ0सं0 140/2025 धारा 3(5)/103(1)/238 बीएनएस बनाम 1.कुंवर सिंह उर्फ चुक्खा पुत्र लालजीत 2.सोनेलाल पुत्र भुइयादीन निवासीगण ग्राम घुष्टी गढ़िया थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात 3. शेरू पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी कपासी खुर्द थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के क्रम में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 103(1) बीएनएस का लोप कर धारा 105 बीएनएस व 3/181 एमवी एक्ट की बढोत्तरी की गयी है। पंजीकृत मु0अ0सं0 140/2025 धारा 3(5)/105/238 बीएनएस व 3/181 एमवी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त कुंवर सिंह उर्फ चुक्खा पुत्र लालजीत निवासी ग्राम घुष्टी गढिया थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 20 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर दिनांक 03.04.2025 को समय 20.50 बजे खानपुर रोड़ के अंत में रेलवे लाईन के किनारे स्टेशन झींझक थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सोनेलाल पुत्र भुइयादीन निवासीगण ग्राम घुष्टी गढ़िया थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर अभियुक्त की तलाश की जा रही है, शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी कर विधिक कार्यवाही की जायेगी। अन्य अभियुक्त की घटना में संलिप्तता के संबंध में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित है प्राप्त साक्ष्य/तथ्यों के आधार पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. कुंवर सिंह उर्फ चुक्खा पुत्र लालजीत निवासी ग्राम घुष्टी गढिया थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 20 वर्ष।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त कुंवर सिंह उर्फ चुक्खा पुत्र लालजीत निवासी ग्राम घुष्टी गढिया थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात ने पूछने पर बताया कि मृतक महेश व मेरे नाना के भाई सोनेलाल खेत पर आये थे उन्होने बोला ट्रैक्टर ले आओ हम बीज फैला रहे हैं तब मैं ग्राम कपासी ट्रैक्टर मालिक शेरू के पास गया और उनका ट्रैक्टर ले आया उनका ट्रैक्टर मैं ही चलाता हूँ, फिर मैं खेत जोतने लगा। ट्रैक्टर मालिक शेरू खेत पर नहीं आये थे फिर महेश ने ट्रैक्टर पर चढने

का प्रयास किया मैंने ट्रैक्टर चला दिया तथा ट्रैक्टर नहीं रोका। फिर वह रोटावेटर (हल) के नीचे आ गये। जब तक मैंने ट्रैक्टर रोका रोका तब तक महेश की रोटावेटर से कटकर मृत्यु हो गयी। महेश रोटावेटर हल के नीचे गिरेने से कट गये थे। मैंने डर के वजह से उनका सिर व शरीर के बडे हिस्से मिट्टी के नीचे गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा दिये थे। मैं शेरू का ट्रैक्टर सात आठ साल से चलाता हूँ मेरे पास ड्राइवरी लाइसेन्स नही है। शेरू ट्रैक्टर मालिक है। जब घटना हुयी तब मैं व महेश ही वहाँ पर मौजूद थे सोनेलाल घटना के थोडा पहले चले गये थे तथा घटना के बाद वापस आ गये थे। मैंने घटना के बारे में नाना सोनेलाल को बता दिया था उनकी सहमति से ही मैंने उनका सिर व शरीर के हिस्से जमीन मे छिपाये थे। सोनेलाल मेरे नाना के भाई हैं उनका हाथ टूटा है उनका खाना पीना मेरे साथ ही रहता है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण-

1.निरीक्षक अपराध श्री रजनीश कुमार थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
2. कां0 731 संजीव कुमार थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।